न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–19/2018

1. काशीराम पुत्र कन्हीराम पुत्र चौखाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम माजरा काठ, तहसील नीमराना, जिला अलवर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. हवासिंह पुत्र हजारी पुत्र चौखाराम,
2. किरोडी पुत्र हजारी पुत्र चौखाराम,
3. अनिल पुत्र हजारी पुत्र चौखाराम,
4. रामप्यारी पत्नी हजारी पुत्रवधु चौखाराम,
5. प्रेमदेवी पुत्री हजारी पुत्र चौखाराम,
6. दयानन्द पुत्र चौखाराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम माजरा काठ, तहसील नीमराना जिला अलवर।
7. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर।
8. उप पंजीयक, नीमराना, जिला अलवर।
9. वरिष्ठ क्षेत्रिय प्रबन्धक, रीको नीमराना, जिला अलवर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 05.03.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर के आदेश दिनांक 25.09.2017 (प्रकरण संख्या 11/02/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम विवादित आराजी खसरा नम्बर 68 एवं 68/800 रकबा 86 ऐयर के खातेदार अपीलार्थी के दादा चौखाराम थे तथा उक्त आराजी को औधोंगिक विभाग रीको द्वारा अधिग्रहण करने पर नामान्तरकरण संख्या 184 दिनांक 06.09.2010 एवं 13.09.2011 के द्वारा खसरा नम्बर 68 में से 0.43 हैक्टयर रीको के नाम स्वीकार किया गया एवं बाकी जमीन चौखाराम के वारिसान के नाम दर्ज की गई जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा एक अपील न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के यहॉ प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2017 द्वारा स्वीकार कर रिमाण्ड किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना विधिवत नोटिस दिये एवं बिना समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं बिना किसी प्रकार की जांच किये ही अपीलान्ट के हक में स्वीकार किया गया नामान्तरकरण खारिज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के

P.T.O.

विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नही दिया कि नायब तहसीलदार सहाडा ने विधिवत जांच कर नामान्तरकरण पर अपना आदेश पारित किया है तथा रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील पेश की एवं विलम्ब की लम्बी देरी को क्षमा करने के लिऐ कोई प्रर्याप्त कारण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय को नही बताये इसलिये उसकी अपील आदेश 41 3ए जा.दी. के प्रावधानों के तहत मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त किये जाने योग्य थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार के यहॉ पर रिमाण्ड करने के आदेश प्रदान करने में कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नही दिया कि विवादित आराजी को रीको द्वारा अवाप्त किया गया है और उसके मुआवजा राशि का भुगतान अपीलान्ट नही किया गया है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने मुआवजा का भुगतान होना मानकर अपीलान्ट की स्वीकारोक्ति निर्णय में अंकित कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलान्ट ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में ऐसी कोई सहमति या स्वीकारोक्ति अपनी ओर से नही दी है तथा इस तथ्य की ताईद में अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर ने बिना किसी प्रकार की जांच किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर भी ध्यान नही दिया कि विवादित आरार्जा को अपीलान्ट खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है और अपीलान्ट ने कभी कोई किसी भूमि अवाप्ति का मुआवजा प्राप्त नही किया बल्कि अपीलान्ट के पिता कन्हीराम पुत्र चौखाराम का स्वर्गवास होने पर अपीलान्ट के नाम विवादित आराजी का विरासती नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 05.09.2011 को स्वीकार होकर विवादित आराजी में उसका 1/4 हिस्सा मानकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2017 को निरस्त किया जाकर नायब तहसीलदार नीमराना द्वारा स्वीकार किया गया नामान्तरकरण संख्या 184 दिनांक 06.09.2010 एवं 13.09.2011 को यथावत रखा जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के

P.T.O.

अवलोकन पर जाहिर होता है कि नायब तहसीलदार नीमराना के आदेश क्रमांक भू.अ./10/702 दिनांक 06.09.10 एवं दिनांक 13.09.2016 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 184 दर्ज व निर्णित किया गया है जो कि रेस्पोडेन्ट को बिना सुने ही निर्णित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से उचित नही ठहराया जा सकता है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा प्रकरण तहसीलदार नीमराना को रिमाण्ड किया गया है जिसकी पालना में तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रकरण में अभी कार्यवाही की जानी शेष है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट तहसीलदार नीमराना के समक्ष अपना पक्ष रखकर चाराजोही कर सकते है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2017 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.03.18 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सभागीय आयुक्त,
जयपुर।